दैनिक भास्कर

जोधपुर, बुधवार 18 नवंबर, 2015 3

अतिक्रमण मामला, व्यापारियों को सुनवाई का अवसर दिया

घंटाघर धानमंडी में निगम की कार्रवाई अनुचित, कोर्ट ने नोटिस अपास्त किया

लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने घंटाघर स्थित धानमंडी में नगर निगम की कार्रवाई के विरुद्ध दायर याचिका को स्वीकार करते हुए निगम की कार्रवाई को अनुचित करार देते हुए व्यापारियों को जारी किए गए नोटिस अपास्त कर दिए हैं। कोर्ट ने निगम प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई की छूट दी है, लेकिन व्यापारियों को सुनवाई का अवसर दिया है। याचिकाकर्ता खुदरा अनाज व्यापारी संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता व अधिवक्ता रमित मेहता ने याचिका दायर कर निगम की ओर से गत 1, 2, 4, 8 व 10 सितंबर को जारी किए नोटिस को चुनौती दी थी। नोटिस में निगम ने धानमंडी में दुकानों के आगे बड़ी चौकड़ियों को अवैध बताते हुए एक सप्ताह में ही हटाने के निर्देश दिए थे। तब कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मेहता ने कहा कि निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस अवैध हैं। व्यापारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि निगम की ओर से कार्रवाई को उचित बताया गया। जस्टिस लोहरा ने दोनों पक्ष सुनने के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस को अनुचित बताया तथा उसे अपास्त कर दिया। साथ ही निगम द्वारा अब तक की गई कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया।